पत्रांक–14 / डी0एल0ए0 / मार्गदर्शन–06 / 2023–......918............ / रा0,

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः–..01-06-26..

विषयः– विभिन्न परियोजनाओं हेतु की जानेवाली भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–1708 / रा., दिनांक–16.10.2025

महाशय,

आप अवगत हैं क़ि राज्यन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु की जानेवाली भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई संबंधित अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलाक में भू–अर्जन अधिनियम, 2013, एन0एच0एक्ट, 1956 एवं रेलवे (विशेष) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत की जाती है। अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में बिहार भू–अर्जन नियमावली एवं कतिपय संकल्प, अधिसचूना, परिपत्र एवं पत्र भी विभाग द्वारा निर्गत एवं संसूचित किये गये हैं।

2– इस संबंध में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से लोकहित की परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को त्रूटिरहित एवं समय पर पूर्ण करने हेतु भू–अर्जन अधिनियम, 2013 एवं तत्संबंधी नियमावली के प्रावधान की संक्षिप्त विवरणी एवं भू–अर्जन की कार्रवाई के विभिन्न प्रक्रम को पूर्ण करने के निमित्त जांच–पत्र संलग्न कर प्रेषित की गई है।

3– प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न जांच पत्रक–6 में भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत अर्जित की जानेवाली भूमि के मुआवजा के भुगतान हेतु अनिवार्य रूप से वांछित दस्तावेज / कागजात की सूची हितबद्ध रैयतों से मांग की जाती है। अर्जित किये जानेवाली भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निर्गत किये गये दिशा–निदेशों को यथावत रखते हुए, जांच पत्रक–6 में निम्न संशोधन किये जाते हैं:–

(जांच–पत्रक:–6)

RFCTLARR Act, 2013 के तहत अर्जित भूमि के मुआवजा के भुगतान हेतु अनिवार्य रूप से वांछित दस्तावेज/कागजात की सूची–

क्र0	दस्तावेज/कागजात	प्राप्त/अप्राप्त	अभ्युक्ति
(i)	आवेदन पत्र।		
(ii)	नोटिस की प्रति (मूल में)।		
(iii)	हितबद्ध रैयत का बंधपत्र।		
(iv)	भुगतान की जानेवाली भूमि का अद्यतन लगान रसीद (स्वअभिप्रमाणित)।		
(v)	अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र (स्वअभिप्रमाणित)।		
(vi)	खतियान की प्रति/केवाला की स्वअभिप्रमाणित प्रति (यदि आवश्यक हो)।		
(vii)	आधार कार्ड की छायाप्रति/बैंक खाता विवरणी एवं अन्य कागजात यथा–पैन कार्ड (यदि आवश्यक हो) की स्वअभिप्रमाणित प्रति।		
(viii)	संयुक्त जमाबंदी होने की स्थिति में सहहिस्सेदारों/भागीदारों का सहमति पत्र (मूल में)।		
(ix)	वंशावली (यदि आवश्यक हो) मूल में।		

4– उपरोक्त जांच पत्रक के आलोक में कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

29/5/26

(जय सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–918/रा0, पटना, दिनांक–01-06-26

प्रतिलिपि:–सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/26

(जय सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–918/रा0, पटना, दिनांक–01-06-26

प्रतिलिपि:–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु प्रेषित।

29/5/26

(जय सिंह)
सरकार के सचिव।